

केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक, राजस्थान -304 501

क्रमांक: 6(323)एसपी / 2014 /

दिनांक: 03.06.2014

अल्पकालीन कोटेशन प्रपत्र सूची

- | | | |
|--|---|---|
| 1. भरे हुये कोटेशन प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि | : | दिनांक 13.06.2014 दोपहर 1.00 बजे तक |
| 2. कोटेशन खोलने की अन्तिम तिथि | : | दिनांक 13.06.2014 दोपहर बाद 3.00 बजे से |
| 3. अमानत राशि | : | — / — रूपये |
| 4. कोटेशन की मान्य अवधि | : | 120 दिन |

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य स्थल / ब्लॉक नं.	बुवाई की जाने वाली फसल	अनुमानित क्षेत्रफल	अनुबन्धकर्ता द्वारा अंजन घास के बीज में मांगा गया हिस्सा (प्रतिशत में)
1.	संस्थान-कृषक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्म अनुभाग के अधीन विभिन्न खण्डों पर हिस्सेदारी के आधार पर अंजन घास के बीज का उत्पादन करने से सम्बन्धित कार्य का अनुबन्ध।	8	अंजन घास	10 हैक्टर	
		13	अंजन घास	10 हैक्टर	

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई हिस्सेदारी (प्रतिशत) पर **संस्थान-कृषक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्म अनुभाग के अधीन विभिन्न खण्डों पर हिस्सेदारी के आधार पर अंजन घास के बीज का उत्पादन करने से सम्बन्धित कार्य** को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रैक्ट/जॉब कोन्ट्रैक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त कोटेशनों में आप न्यूनतम/अधिकतम अथवा किसी अन्य कोटेशनों को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक -----

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

संस्थान-कृषक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्म अनुभाग के अधीन विभिन्न खण्डों पर हिस्सेदारी के आधार पर अंजन घास के बीज का उत्पादन करने से सम्बन्धित कार्य की नियम व शर्तें

1. कोटेशन प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र/संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेंगे (जो कि प्रपत्र सूचि में दर्शाया गया है)। कोटेशन संस्थान के निदेशक महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक 13.06.2014 तक समय दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करना है। सशर्त, ई-मेल/तार द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता के पास श्रम विभाग से पंजिकृत होने का प्रमाण पत्र अथवा पेन कार्ड की फोटोप्रति कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर कोटेशन को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। समिति द्वारा कोटेशन उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे कोटेशनदाता के समक्ष खोले जाएंगे।
2. सफल ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व नियमानुसार 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करानी होगी उसके उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जावेगा।
3. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 31.12.2016 तक रहेगी तथा आवश्यकता हुई तो आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
4. कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये ब्लॉकों पर पैदा होने वाली अंजन घास की पैदावार में चारे का 100 प्रतिशत हिस्सा संस्थान का तथा अनुबन्ध की अवधि 3 वर्ष (2014 से 2016) तक मान्य होगी।
5. सभी ब्लॉकों पर अंजन घास के बीज की पैदावार का अधिकतम हिस्सा संस्थान को देने वाले को अनुबन्ध दिया जावेगा।
6. प्रत्येक ब्लॉक के लिये अलग-अलग अनुबन्ध अंजन घास के बीज की पैदावार का अधिकतम हिस्सा संस्थान को देने वाले को अनुबन्ध दिया जावेगा।
7. खेत की तैयारी, बुवाई एवं चारा ढुलाई हेतु ट्रैक्टर व अंजन घास का बीज संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा तथा निराई-गुड़ाई व रखवाली व खेत में काम आने वाले सभी औजार अनुबन्धकर्ता के स्वयं के होंगे।
8. अनुबन्धकर्ता को अंजन घास का बीज साफ-सुथरा देना होगा तथा प्रभारी, फार्म अनुभाग द्वारा निर्देशित स्थान पर एकत्रित करना होगा।
9. अंजन घास के बीज का बंटवारा सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जावेगा जोकि अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा। अनुबन्ध की अवधि के दौरान पैदा होने वाली अंजन घास को प्रभारी, फार्म अनुभाग अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर डालना होगा तथा चारे का भण्डारण/बागर लगानी होगी/समुचित तरीके से जमाना होगा। संस्थान के बंटवारों का बीज व चारा उठाने के लिये श्रमिक स्वयं अनुबन्धकर्ता को उपलब्ध करवाने होंगे।
10. अनुबन्धकर्ता को अंजन घास की बुवाई से कटाई तक दिन-रात रखवाली करनी होगी तथा घास को आवारा जानवरों द्वारा किये जाने वाले नुकसान से बचाना होगा।
11. अनुबन्ध की अवधि के दौरान मानसून एवं विविध कारणों से उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा अनुबन्धकर्ता को किसी भी प्रकार का हर्जाना/क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध नहीं करवाई जावेगी।
12. उपरोक्त से सम्बन्धित सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, फार्म अनुभाग/उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य की संतोषजनक पूर्णता प्रमाणित करेंगे तथा उसके बाद ही हिस्से का बंटवारा किया जावेगा।
13. किसी भी कार्य को अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुबन्ध कार्य निरस्त कर दिया जावेगा साथ अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाई गई अमानत/जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी एवं भविष्य में संस्थान में किसी भी प्रकार के अनुबन्धों से बाहर कर दिया जावेगा।
14. अनुबन्धकर्ता को संस्थान के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।
15. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान होता है अथवा संस्थान में किसी प्रकार की चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसका भुगतान स्वयं ठेकेदार को नकद करना होगा अन्यथा उनके हिस्से से उक्त राशि की कटौती कर ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
16. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
17. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधियों को उपरोक्त सभी कार्य प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा-निर्देशानुसार करना होगा।
18. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर फार्म अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों का फोटो (पहचान-पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
19. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।

20. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
21. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख टेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
22. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे कृषक/टेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
23. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। टेके की अवधि व उसके उपरान्त टेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
24. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
25. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी कोटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
26. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in पर उपलब्ध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कोटेशन प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तें भली प्रकार से पढ़ली है तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये अंजन घास के बीज में हिस्सेदारी के प्रतिशत में संस्थान-कृषक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्म अनुभाग के अधीन विभिन्न खण्डों पर अंजन घास के उत्पादन करने से सम्बन्धित कार्य को अनुबन्ध/जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का पता

माबाईल नं.

- संलग्नक : 1. श्रम विभाग से पंजिकृत होने के प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
2. पेन कार्ड की प्रतिलिपि
3. अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।